न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

तारीख दायर 14/5/18

प्रकरण संख्या :- 67/18

प्यारचंद पिता हजारी कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....................प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पिता मोहनलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बाबुलाल पिता मोहनलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 26-6-18

प्रार्थना पत्र श्री प्यारचंद पिता हजारी कलाल जाति कलाल उम्र बालिग निवासी जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश** कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 203 पर अंकित आराजी संख्या 410 रकबा 1–14 बीघा, आराजी संख्या 413/1 रकबा 1–07 बीघा, बाराजी संख्या 414/1 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 3 रकबा 3–16 बीघा भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 203 पर अंकित आराजी संख्या 410 रकबा 1–14 बीघा, आराजी संख्या 413/1 रकबा 1–07 बीघा, बाराजी संख्या 414/1 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 3 रकबा 3–16 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां